**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2093**

**राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशी और कुक्कुटों की ढुलाई**

**2093. डा. चंदन मित्रा:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशी और कुक्कुटों की ढुलाई के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मवेशियों की ढुलाई के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

(क) और (ख) मोटरयान अधिनियम 1988 में ‘माल’ की परिभाषा के अनुसार ‘माल’ में पशुधन शामिल है ।

(ग) और (घ) प्रश्‍न पैदा नहीं होते ।

\*\*\*\*\*\*